"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 दिसम्बर 2005—अग्रहायण 11, शक 1927

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं आर. के. सोनकर पिता श्री सी. पी. सोनकर निवासी ग्राम धमधा, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने पुत्र युगल किशोर सोनकर का नाम परिवर्तित कर निखिल कुमार सोनकर रख लिया हूं तथा इस आशय का शपथ-पत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: भविष्य में मेरे पुत्र को निखिल कुमार सोनकर के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
युगल किशोर सोनकर पिता श्री आर. के. सोनकर बस स्टैण्ड के पास सोनकर पारा, धमधा जिला- दुर्ग (छ.ग.) 491331	निखिल कुमार सोनकर पिता श्री आर. के. सोनकर बस स्टैण्ड के पास सोनकर पारा, धमधा जिला- दुर्ग (छ.ग.) 491331

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं रामनारायण टैगोर आ. स्व. मुरहाराम, निवासी क्वा. नं. 3/जी, सड़क नं. 28, सेक्टर-1, भिलाई नगर, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) का निवासी हूं. मैं अपने पुत्र अमित कुमार टैगोर के उपनाम को परिवर्तित कर अमित कुमार ठाकुर रख लिया हूं तथा इस आशय का शपथ-पत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: भविष्य में मेरे पुत्र को अमित कुमार ठाकुर के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
अमित कुमार टैगोर आ. रामनारायण टैगोर निवासी क्वा नं. 3/जी, सड़क नं. 28 सेक्टर-1, भिलाई नगर तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)	अमित कुमार ठाकुर आ. रामनारायण टैगोर निवासी क्वा नं. 3/जी, सड़क नं. 28 सेक्टर-1, भिलाई नगर तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं रामनारायण टैगोर आ. स्व. मुरहाराम, निवासी क्वा. नं. 3/जी, सड़क नं. 28, सेक्टर-1, भिलाई नगर, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) का निवासी हूं. मैं अपनी पुत्री कु. नम्रता टैगोर के उपनाम को परिवर्तित कर कु. नम्रता ठाकुर रख लिया हूं तथा इस आशय का शपथ-पत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: भविष्य में मेरी पुत्री को कु. नम्रता ठाकुर के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कु. नम्रता टैगोर आ. श्री रामनारायण टैगोर निवासी क्वा नं. 3/जी, सड़क नं. 28 सेक्टर-1, भिलाई नगर तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)	कु. नम्रता ठाकुर आ. श्री रामनारायण टैगोर निवासी क्वा नं. 3/जी, सड़क नं. 28 सेक्टर-1, भिलाई नगर तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं रामनारायण टैगोर आ. स्व. मुरहाराम, निवासी क्वा. नं. 3/जी, सड़क नं. 28, सेक्टर-1, भिलाई नगर, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) का निवासी हूं. मैं अपने पुत्र का नाम मुकेश के साथ उपनाम जोड़कर उसका नाम मुकेश कुमार ठाकुर आ. रामनारायण टैगोर रख लिया हूं तथा इस आशय का शपथ-पत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: भविष्य में मेरे पुत्र को मुकेश कुमार ठाकुर के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
मुकेश आ. श्री रामनारायण टैगोर निवासी क्वा नं. 3/जी, सड़क नं. 28 सेक्टर-1, भिलाई नगर तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)	मुकेश कुमार ठाकुर आ. श्री रामनारायण टैगोर निवासी क्वा नं. 3/जी, सड़क नं. 28 सेक्टर-1, भिलाई नगर तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं कुमारी सुमंत्रा मरकाम पिता श्री संपत मरकाम निवासी न्यू राजेन्द्र नगर विजेता काम्पलेक्स रायपुर तह. व जिला रायपुर की हूं मैं पुलिस विभाग में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत हूं जहां मेरी सेवा पुस्तिका में मेरा नाम लिपिकीय त्रुटिवश कु. सुमंत्रा के स्थान पर कु. सुमित्रा मरकाम लिखा हुआ है जोकि गलत है. अत: मेरा नाम मेरे शैक्षणिक दस्तावेज (अंकसूची) अनुसार सुमित्रा मरकाम के स्थान पर कु. सुमंत्रा मरकाम लिखा जावे तथा इस आशय का शपथ-पत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: भविष्य में मुझे कु. सुमंत्रा मरकाम के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

कु. सुमित्रा मरकाम
निरीक्षक
महिला प्रकोष्ठ, पुलिस
मुख्यालय, रायपुर (छ.ग.)

नया नाम

कु. सुमंत्रा मरकाम
निरीक्षक
महिला प्रकोष्ठ, पुलिस
मुख्यालय, रायपुर (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं राजीव जी आत्मज एन. जी. के. कुरूप, आयु 38 वर्ष, निवासी 1/डी, सड़क नम्बर ई. एम. आर., सेक्टर 4 भिलाई नगर, तह. व जिला दुर्ग का निवासी हूं. मैं अपने पुत्र एवं पुत्री आर. अनुराग उर्फ अनुराग राजीव एवं आर. रजनी उर्फ रजनी राजीव का नाम परिवर्तित कर अनुराग राजीव एवं पुत्री का नाम परिवर्तित कर रजनी राजीव रख लिया हूं तथा इस आशय का शपथ-पत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: भविष्य में मेरे पुत्र व पुत्री को अनुराग राजीव एवं रजनी राजीव के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

आर. अनुराग उर्फ अनुराग राजीव
क्वा. नं. 1/डी, सड़क नं. ई. एम. आर.
सेक्टर 4, भिलाई नगर
तह. व जिला- दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

अनुराग राजीव
क्वा. नं. 1/डी, सड़क नं. ई. एम. आर.
सेक्टर 4, भिलाई नगर
तह. व जिला- दुर्ग (छ.ग.)

पुराना नाम

आर. रजनी उर्फ रजनी राजीव
क्वा. नं. 1/डी सड़क नं. ई. एम. आर.
सेक्टर 4, भिलाई नगर
तह. व जिला- दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

रजनी राजीव
क्वा. नं. 1/डी सड़क नं. ई. एम. आर.
सेक्टर 4, भिलाई नगर
तह. व जिला- दुर्ग (छ.ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, भाटापारा

प्रारूप-चार

सूचना पत्र

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5(1) के द्वारा]

भाटापारा, दिनांक 27 अक्टूबर 2005

क्रमांक /वाचक-1/अ.वि.अ./2005.—लोक न्यासों के पंजीयक भाटापारा, जिला रायपुर के समक्ष यत: कि दी आदित्य बिडला एजूकेशन ट्रस्ट हिरमी, तहसील सिमगा ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 4-12-2005 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्तिं या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचनापत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम और पता	:	दी आदित्य बिडला एजूकेशन ट्रस्ट हिरमी, तहसील सिमगा, जिला रायपुर (छ. ग.).
(2)	चल संपत्ति	:	नगद 1000.00 रुपये अक्षरीय एक हजार रुपये मात्र.

श्याम धावडे,
पंजीयक.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक पंजीयक न्यास, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

[छ. ग. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 5(2) तथा छ. ग. पब्लिक ट्रस्ट नियम की धारा 5(1) के अंतर्गत]

सूचना पत्र

बिलासपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2005

क्रमांक -क/अ.वि.अ./2005.—चूंकि बी. डी. खत्री, अध्यक्ष, विपश्यना साधना चेरीटेबल ट्रस्ट, बिलासपुर पता—ए-34, विनोबानगर बिलासपुर. तहसील व जिला बिलासपुर ने नीचे लिखे अनुसूची में अंकित संपत्ति को छ. ग. पब्लिक ट्रस्ट की धारा 4 के तहत पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति या उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे अंकित है के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से एक माह अर्थात् 30 दिनों के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं अथवा अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं चल-अचल संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता	:	विपश्यना साधना चेरीटेबल ट्रस्ट बिलासपुर, पता—ए-34, विनोबानगर बिलासपुर (छ.ग.).
(2)	चल संपत्ति	:	बैंक आफ महाराष्ट्र की बिलासपुर शाखा में सेविंग एकाउंट नं. 12565 जिसमें वर्तमान में 34068/- रुपये जमा है.
(3)	अचल संपत्ति	:	कुछ भी नहीं है.

संजय अग्रवाल,
पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.